



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 03/10/2025

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3567

तहसीलदार  
श्रीमाधोपुर

दस्ता

विषय: - तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का करडका  
विलिख प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता  
मुकदमा नम्बर - 133/2025. निर्णय दिनांक - 29/09/2025


### आदेश

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29/09/2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उक्तप्रकृत प्रकरण में यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें तथा पालना रिपोर्ट अन्दर गियाद एक माह में आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 01/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी किया गया।

संलग्न - उपरोक्तानुसार



  
( अनिल कुमार )  
समाखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)



FORM NO.111

फर्द आह्वान

(नियम 26)

29-9-2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का करइका

किरम मुकदमा - प्रा0पत्र प्रचलित रास्ता अधा 131, 132 एन.आर.एक्ट मुकदमा नम्बर-133/2025

करीब हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर

न्यायालय में  
इस हुकम की  
तारीख में जारी  
है।

29/09/2025

29/09/25

राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 24 जून 2025 से 09 जुलाई 2025 तक "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्वयोदय सम्बल पखवाड़ा" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबंधित संपादित किये जाने वाले कुल 10 गतिविधियों/कार्यों में से क्रमांक 6 पर "रास्ता के प्रकरणों का निस्तारण" का कार्य श्रीमान प्रमुख शारान राचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप 5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 04(3) राज-5/सम/2024 जयपुर दिनांक 18.06.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियों में कर्दीगी रूप से बले आ रु: प्रचलित रास्तों (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहे हैं) को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव लिये जाकर शिविर के दौरान मौके पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तैयार करवाये गये थे। जिनको तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2322/भू.अ./2025 दिनांक 30.07.2025 एवं पुनः पत्रांक 2584/भू.अ./2025 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करइका के कृषि भूमि खसरा नम्बर 527, 528, 529, 573, 574 में से जा रहे प्रचलित रास्ता ग्राम रूपपुरा उदलवास से झाडली राडके सीमा तक जाने वाला कच्चा रास्ता से लगता हुआ प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर सुचारु रूप से संचालित है। उक्त प्रचलित रास्तों का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगत मैप, फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर कुछ खातेदारान् के सहमति वतौर हस्ताक्षरित संबंधित खातेदारान् में से फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का करइका शामिल है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिलेख रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया है। विविध

Sc  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जाल का प्रकृतित रूप नगरपालिका के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का क्षेत्र में जाल को नगरपालिका में दर्ज रजिस्टर किया गया। इसी परिपत्र में पूर्व में श्रीमान् संयुक्त शासन

सचिव राजस्व (रूप-6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक २३ डी राज-६/२००३/घटे जयपुर दिनांक 10.08.2016 के द्वारा भी गांव में कटीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चले आ रहे प्रकृतित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में नौ नु० रास्ता दर्ज किये जाने तथा रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में सम्बन्धित खातेदारान् के ही नाम जमाबन्दी में रखे जाने बाबत राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। उक्त जारी परिपत्र की प्राप्ति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रकृतित रास्ते के प्रस्ताव व प्रस्ताव के सलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मंगल किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रस्तावित प्रकृतित रास्ते के मोक पर कटीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक रूप से काम में आने, प्रस्तावित प्रकृतित रास्ता ग्राम रूपपुरा उदलवास से झाड़ली सड़क सीमा तक जाने वाला कच्चा रास्ता से लगता हुआ रास्ता सुचारु रूप से संचालित होना प्रकट होता है। उक्त प्रकृतित रास्ता जो मोक पर चालू होकर रास्ते के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आने से एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनुसंधान के मकसदात्त प्राथना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायचित्त प्रकृतित होता है।


अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 53, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा मोक पर चालू प्रकृतित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को भिमानुसार दिये जाते है :-

राजस्व नाम रूपपुरा उदलवास पटवार मण्डल करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला लीकर के भूमि खसरा नम्बर 574 रकबा 0.07 हेक्टर में से 0.045 हेक्टर, 573 रकबा 2.31 हेक्टर में से 0.075 हेक्टर व 527 रकबा 2.99 हेक्टर में से 0.037 हेक्टर, 528 रकबा


उपरोक्त अधिकारी श्रीमाधोपुर

0.25 हैक्टर में से 0.008 हैक्टर एवं 629 स्कवा 223 हैक्टर में से 0.024 हैक्टर भूमि नवशा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में से तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित सस्ते को गैर मुमकीन सस्ता के रूप में दर्ज किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एवं संलग्न नवशा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते हैं कि उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमियां बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरण सस्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए सस्ते के स्कवे की किरम गैर मुमकीन सस्ता दर्ज की अंकित/दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में से तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित सस्ते को गैर मुमकीन सस्ता के रूप में दर्ज किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एवं संलग्न नवशा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते हैं कि उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमियां बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरण सस्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए सस्ते के स्कवे की किरम गैर मुमकीन सस्ता दर्ज की जावे एवं नवशा में उक्तानुसार तरगीम की जावे। गैर मुमकीन सस्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के साथ ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नवशा ट्रेस आदेश के भाग रहेगें। उक्त प्रचलित सस्ता में अंकित खसरा नम्बरान् पर यदि किसी अपीलीय/अपर/सिविल/राजस्व मण्डल इत्यादि किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

3567/2025  
03-10-25

  
( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 29/9/25

  
( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)